५रु. COURT भारत पाँच रुपये | ५रु. COURT भारत पाँच रुपये | ५रु. कोर्ट COURT भारत पाँच रुपये | ५रु. COURT भारत पाँच रुपये | ५रु. COURT भारत पाँच रुपये | ५रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(93)

रायसेन

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैंप भोपाल

नि०-6117/2018/रायसेन/भू.रा.अ. राजस्व निगरानी क्रमांक /2018

सुरेश कुमार आत्मज श्री बलीराम कुशवाह
आयु लगभग 35 वर्ष
निवासी-वार्ड कमांक 2 बाड़ी तहसील बाड़ी
जिला रायसेन म.प्र. (257) ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. रामरतन आत्मज श्री नंदराम अहिरवार
   निवासी वार्ड कमांक 2 तहसील बाड़ी
   जिला-रायसेन म.प्र.
2. मध्यप्रदेश शासन
   द्वारा-जिलाध्यक्ष,रायसेन ....उत्तरदातागण

अभिभाषक श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव
द्वारा आज दिनांक 6/9/18
को पेश।
अधीक्षक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

अधिनस्थ न्यायालय आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल द्वारा द्वितीय अपील कमांक 193/अपील/2016-17 (सुरेश कुमार विरूद्ध रामरतन) में पारित आदेश दिनांक 06.08.2018 से दुखी होकर निगरानी प्रस्तुत

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 6117/2018/रायसेन/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-10-2018	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-8-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 183 (ई) के अनुसार ग्राम सेवक सेवा-भूमि की धारा 183(2) के उल्लघंन में अंतरण करता है तब वह शून्यवत होगा और अंतरणगृहिता उस अंतरण के आधार पर कोई स्वत्व अर्जित नहीं करेगा और न किसी अधिकार की मॉग कर सकेगा । अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय आवेदक को विधि विरूद्ध किया गया है जो शून्य है । ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र के आधार पर आवेदक को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं । अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है इसलिये आयुक्त द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है । अध्यक्ष	